न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

आनन्द सिंह शेखावत बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 136 PR मु.नं. 150 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
28/11/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1713 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थीगण ने कर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर के नये खाता सं. 133, 252, 253 व 57 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि नन्दूसिंह पुत्र नाहरसिंह दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि आनन्द सिंह शेखावत पुत्र नाहरसिंह शेखावत है। अर्थात् प्रार्थी का सही नाम आनन्द सिंह शेखावत है। प्रार्थी के नाम से बने सभी दस्तावेजात में प्रार्थी के नाम आनन्द सिंह शेखावत अंकित है, जो की सही है। अतः उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में दर्ज प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि नन्दूसिंह पुत्र नाहरसिंह के स्थान पर आनन्द सिंह शेखावत पुत्र नाहरसिंह दुरूस्त किया जावें।" प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1713 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर के नये खाता सं. 133, 252, 253 व 57 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि नन्दूसिंह पुत्र नाहरसिंह के स्थान पर आनन्द सिंह शेखावत उर्फ नन्दूसिंह पुत्र नाहरसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद की दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.01 15:06:53 IST
Reason: Self Attested